कार्यालय परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई

प्लाट नं. 27–28 निर्माण भवन, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र)

Website:www.mp.gov.in/pwdmp email:- pdpiu.pwd@mp.gov.in

Phone-0755-2551341

क्र.एफ 7–11/2016/विदिशा/पंजी.बहाली/सा./पीडी/479 भोपाल, दि. 10/03/2017

आदेश

मुख्य वास्तुविद, लोक निर्माण विभाग, भोपाल के आदेश क्र0 एफ 13–17/सीए/ईडीसी/कासू/2016/3186 दिनांक 25.11.2016 से 350 शैयायुक्त जिला चिकित्सालय भवन, विदिशा का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने में कोताही हेतु पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन के माध्यम से नियुक्त वास्तुविद– मेसर्स वास्तुविस्ता स्पंदन, सी–195, आशियाना कॉम्प्लेक्स के समीप, बी0डी0ए0, कोहेफिज़ा, भोपाल को दो वर्ष के लिए लोक निर्माण विभाग की नकारात्मक सूची में प्रविष्ट किया गया है। नकारात्मक सूची में डाले जाने के प्रभाव से मेसर्स वास्तुविस्ता आदेशित अवधि तक लोक निर्माण विभाग में किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकेंगे। मुख्य वास्तुविद द्वारा मेसर्स वास्तुविस्ता को नकारात्मक सूची में प्रविष्ट करने का आधार यह माना गया है कि उन्होंने अग्र–सक्रिय होकर उचित समन्वय नहीं किया, जिसके कारण परियोजना के लिए ड्राईंग उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसका प्रभाव सीधे–सीधे कार्य की गति पर पड़ा।

2/ मुख्य वास्तुविद के उपरोक्त आदेश के उपरांत मेसर्स वास्तुविस्ता ने उनके पत्र दिनांक 4.1.2017 से अपील कर निवेदन किया है, कि उनके द्वारा निर्माण कार्य के लिए द्रुत गति से सभी ड्राईंग उपलब्ध कराई जा रही हैं एवं कार्य में अब कोई व्यवधान आरोपित नहीं है, अतः उन्हें नकारात्मक सूची से मुक्त जाए।

मुख्य वास्तुविद एवं अतिरिक्त परियोजना संचालक भोपाल से इस प्रकरण में अद्यतन जानकारी एकत्र करने पर अवगत कराया है, कि उक्त नकारात्मक सूची के आदेश के पश्चात् मेसर्स वास्तुविस्ता ने वास्तव में काफ़ी स्फूर्ति प्रदर्शित की है, ड्राईंग आदि वांछित अवधि में उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया है। विभाग के कार्य को स्फूर्तियुक्त करने, शीघ्रातिशीघ्र ड्राईंग प्राप्त होने के उद्देश्य की पूर्ति के दृष्टिगत मेसर्स वास्तुविस्ता को नकारात्मक सूची में प्रविष्ट करने के मुख्य वास्तुविद, लोक निर्माण विभाग के उपर्युक्त आदेश दिनांक 25.11.2016 को

निरंतर..........2

निरस्त किया जाता है, बशर्ते कि उक्त आदेश जारी होने एवं इस आदेश के बीच की अवधि के लिए वह किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति का कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे।

8/3/2017

(विजय सिंह वर्मा)
परियोजना संचालक
लो.नि.वि. पी.आई.यू.म.प्र. भोपाल

क्र.एफ 7–11/2016/विदिशा/पंजी.बहाली/सा./पीडी/ 479 भोपाल, दि. 10 /03/2017

प्रतिलिपिः–

1. कार्यकारी निदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल।
2. अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग परियोजना कियान्वयन इकाई, भोपाल।
3. मुख्य वास्तुविद, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
4. सम्भागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग परियोजना कियान्वयन इकाई, विदिशा।
5. मेसर्स वास्तुविस्ता, स्पंदन, सी 135 बी.डी.ए. कोलेफिजा, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

8/3/2017

परियोजना संचालक
लो.नि.वि. पी.आई.यू.म.प्र. भोपाल

10/3/17

983 15/3/17